कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर

(ई–मेल– scholarship.ele.2013@gmail.com दूरभाष– 0151–2226563

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/छात्रवृति/3704/2020–2021 दिनांकः– 7/9/2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

विषय :– प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियों कि प्रकिया ऑन लाईन करने के संबंध मे।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा/प्रारं/छात्रवृति/3704/2020–21 दिनांक 1.6.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियों हेतु सत्र 2020–21 से शाला दर्पण पोर्टल के छात्रवृति मॉडयूल से आवेदन–भुगतान की संपूर्ण प्रकिया के संबंध में कार्य योजना जारी की गई थी। सत्र 2020–21 हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृति मॉडयूल प्रारंभ कर दिया गया जिसके संबंध में अग्रलिखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1 सत्र 2020–21 से समस्त प्रकार की छात्रवृतियों का आवेदन–भुगतान की समस्त प्रकिया शाला दर्पण के छात्रवृति मॉडयूल से ही किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में छात्रवृति का भुगतान ऑफ लाईन नहीं किया जाएगा।

2 समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑन लाईन आवेदन की अंतिम तिथी 30.9.2020 है।

3 सत्र 2020–21 में समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियों हेतु पात्र विद्यार्थियों से वांछित दस्तावेज/सूचनाएं प्राप्त कर आवेदन शाला दर्पण पर संबंधित संस्था प्रधान द्वारा किया जावेगा।

4 किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृति न्यू अलोटमेंट या रिअलोटमेंट करने के लिए आधार का भरना, जन आधार का ऑथेन्टिकेशन, बैंक डिटेल भरना, परिवार की वार्षिक आय और डॉक्युमेंट की सूचि भरना आवश्यक है।

5 समस्त प्रकार के पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियों हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना आवश्यक है :–

(i) आधार कार्ड ।
(ii) जन आधार संख्या /भामाशाह कार्ड संख्या।
(iii) राशन कार्ड संख्या
(iv) जाति प्रमाण पत्र।
(v) आय प्रमाण पत्र।
(vi) विद्यार्थी की बैंक डिटेल/विद्यार्थी का खाता जन अधार से लिंक नही होने की स्थिति में परिवार के मुखिया (माता) की बैंक डिटेल।

6 विद्यालय में अध्ययनरत गतवर्ष में लाभान्वित विद्यार्थियों से प्रति वर्ष जाति प्रमाण पत्र न मांगा जाये।

7 पात्र छात्र छात्राओं से छात्रवृति के नियमानुसार प्रतिवर्ष आयप्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें।

8 संस्था प्रधान द्वारा छात्रवृति प्रभारी नियुक्त करें जो विद्यार्थियों से छात्रवृति संबंधि सभी औपचारिकताएं

Scanned with CamScanner

पूर्ण करवाकर ऑनलाईन आवेदन की फीडीग करेगें।

9 समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृति आवेदन संस्था प्रधान द्वारा ऑन लाईन सबमिट करने पश्चात आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पर फारवर्ड होगा।

10 छात्रवृति के भुगतान की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से ऑन लाईन कि जानी है।

11 शाला दर्पण पोर्टल पर ऑन लाईन छात्रवृति हेतु विस्तृत यूजर मेनुअल उपलब्ध है। मेनुअल का समुचित अध्ययन कर निर्देशानुसार छात्रों को छात्रवृति राशि का पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करना सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–प्रारं/छात्रवृति/3704/2020–21/ दिनांकः

प्रतिलिपिः 1 संयुक्त निदेशक प्रारंभिक स्कूल शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित है।

2 कम्पयूटर अनुभाग माध्यमिक शिक्षा को पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।

अनुभाग अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner